जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दरभंगा

नोटिस

राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2025

(MEDIATION FOR NATION)

बजरिए नोटिस आप सभी को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तत्वधान में **राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2025** चलाया जा रहा है। यह अभियान 1 जुलाई 2025 से शुरू हुआ है जो कि 30 सितम्बर 2025 तक चलेगा। सभी पक्षकार एवं विद्वान अधिवक्तागण से अनुरोध है कि इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए निम्नलिखित प्रकार के मामलों में सुलह के आधार पर अपने वादों का निष्पादन करा सकते हैं :–

1. वैवाहिक मामले (Matrimonial Cases)
2. दुर्घटना संबंधी दावे (Accident Claim Cases)
3. घरेलू हिंसा संबंधी मामले (D.V. Cases)
4. अनादरित चेक मामले (Checque Bounce Cases)
5. वाणिज्यिक विवाद मामले (Commercial Dispute Cases)
6. सेवा संबंधी मामले (Service Matters Cases)
7. आपराधिक सुलहनीय मामले (Criminal Compoundable Cases)
8. उपभोक्ता विवाद मामले (Consumer Dispute Cases)
9. ऋण वसूली मामले (Debt Recovery Cases)
10. बंटवारा वाद (Partition Cases)
11. बेदखली संबंधी मामले (Eviction Cases)
12. भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले (Land Acquisition Cases)
13. अन्य सिविल मामले (Other Suitable Civil Cases)

उपरोक्त के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दरभंगा या संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर लाभ उठा सकते हैं।

संपर्क सूत्रः– संजय कुमार–7004475088, DLSA, Darbhanga